142

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 690 दिनांकः– 14/6/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132/33 के0भी ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 1851 दिनांक 07.12.2020 एवं पत्रांक 676 दिनांक 17.05.2021**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना 132/33 K.V ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 मात्र जंगल–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव FP/JH/Sub Station/38286/2019 हेतु वन विभागीय पत्रांक 3164 दिनांक 16.08.2019 द्वारा कुल 14 शर्तो पर स्टेज–I की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 1851 दिनांक 07.12.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में कतिपय कंमियां/त्रुटियां पाई गई अतः इस कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 17.12.2020 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों/प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया था। तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 676 दिनांक 17.05.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार स्टेज–I में लगाई गई शर्तो के अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	शते	अनुपालन
क	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–1**
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) NO 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 वन भूमि कम NPV कप राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV मद में कुल 25,29,040.00 रू मात्र (पचीस लाख उन्नतिस हजार चालिस रू मात्र) IFSC Code CORP0000371 कैम्पा खाता सं0 150727338286866 Corporation Bank Lodihi Complex Branch, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा किया गया है। **अनु0–B**
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/ अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–02**

14/6

घ	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न--भिन्न मदों में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नवत् है:– NPV मद में – 25,29,040.00 रू CA+ Revised CA मद में– (6037200+1103275) = 71,40,475.00 रू **96,69,515.00 रू** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल **96,69,515.00 रू** मात्र (छेयानबे लाख उनहतर हजार पाच सौ पंदरह रू मात्र) IFSC Code CORP0000371 कैम्पा खाता सं0 150727338286866 & 150727338286113 Corporation Bank Lodihi Complex Branch, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा किया गया है। दो चलानों के साथ CA Levies Format **अनु0–B**
ड	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम मे कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 125 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–03**
च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 125 वृक्षों के 10 गुणा अर्थात कुल 1250 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल–1250 वृक्षों के रोपण हेतु (10 वर्षीय रखरखाव सहित) डिमांड राशि के अनुरूप कुल राशि 60,37,200.00 एवं **Revised CA** हेतु 11,03,275.00 = कुल 71,40,475.00 (एकहतर लाख चालीस हजार चार सौ पचहतर रू0) मात्र IFSC Code CORP0000371 कैम्पा खाता सं0 150727338286866 & 150727338286113 Corporation Bank Lodihi Complex Branch, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा किया गया है। दो चलानों के साथ CA Levies Format **अनु0–B**
छ	ग्रिड से जो तार बाहर खीचें जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–04**
ज	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–05**
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–06**
ञ	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–07**

ट	यदि गैर वनभूमि पर स्इंवनत ब्उच स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जॉच की जाएगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–08**
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–09**
ड़	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–10**
ढ	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। **अनु0–11**

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई शर्तो का अनुपालन कर दिया गया है। अथवा बचनबद्धता दी गई है। एवं CA Levies Format भरते हुये कार्यानुमति की मांग की गई हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस हेतु अनुशंसा की गई है।

इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 5-2/2017-FC (PT) दिनांक 28.03.2019 द्वारा निर्गत Handbook of Guidelines की कंडिका–11.2 के अनुसार मात्र Linear Project हेतु एक के वर्ष के लिए कार्यानुमति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। पावर सब–स्टेशन Linear Project के श्रेणी में नही आता है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल **4.04 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 690 दिनांक 14/6/2021

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,बोकारो / M/S JUSNL, कार्यपालक अभि० ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

14.6.21

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\बोकारो से पेटवार प्रखण्ड मायापुर 132&33 के0भी0 सब-स्टेशन 4.04 हे0.docx

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो। 130

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013

: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 676 दिनांक : 17-05-2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
—सह—
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— **बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा—मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल—झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :— **1. आपका का पत्रांक 1168 दिनांक 17.12.2020**
2. मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 484 दिनांक 20.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल द्वारा भवदीय के प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्देश के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा—मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल—झाड़ी वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव से संबंधित जमा किये गये राशि की विवरणी CA Lavies प्रपत्र में भरकर समर्पित किया गया है।

प्राप्त CA Lavies प्रपत्र की चार प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0 :— यथोक्त।

17/5

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

17/5/21

कार्यालय : मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013
Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

129

पत्रांक : 484 दिनांक : 20/4/2021

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1168 दिनांक 17.12.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक 1215 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्देश के आलोक में विषयगत परियोजना से संबंधित जमा किये गये राशि की विवरणी CA Lavies प्रपत्र में भरकर समर्पित किया गया है।

प्राप्त CA Lavies प्रपत्र की पाँच प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

[signature] 20/4

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
20/04/2021

[signature] 20/4

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
आ0 127
दि0 20/4/21
बोकारो

D:\Anand Kr. 2014-15\FC Act\Transmission Line\Mayapur 132 & 33 KV Grid Sub Station 4.04 Ha Letter..doc

(91)

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013
: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 1851 दिनांक : 07/12/2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
—सह—
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा—मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल—झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या—वनभूमि 41/2019—3164 व0प0, राँची दिनांक 16.08.2019
2. आपका का ज्ञापांक 1051 दिनांक 27.08.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा—मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल—झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव पर कुल 14 शर्त्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 2126 दिनांक 12.11.2020 द्वारा उक्त शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	शर्त्त	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन
1	2	3
क	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-I)**
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) NO 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 वन भूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार प्रस्तावित 4.04 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 2529040.00 (पच्चीस लाख उन्नतीस हजार चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ **(Annexure-1A)** संलग्न है।
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/ अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है।
घ	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CAMPA खाता में जमा की गई राशि इस प्रकार है। i) NPV Rs. 2529040.00 ii) CA Rs. 6037200.00

	शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन
	2	3
		Total Rs. 8566240.00 (पचासी लाख छियासठ हजार दो सौ चालीस रू0 मात्र) पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ **(Annexure-1A)** संलग्न है।
ड.	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम मे कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 125 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-III)**
च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के कम में पातित किए जाने वाले 125 वृक्षों के 10 गुणा अर्थात कुल 1250 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	वृक्ष पातन के सबंध में बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। कुल 1250 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) हेतू निर्देशानुसार कुल 6037200.00 (साठ लाख सैंतीस हजार दो सौ रू0) कैम्पा खाते में जमा करा दी गयी है। पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ **(Annexure-1A)** संलग्न है।
छ	ग्रिड से जो तार बाहर खीचें जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-IV)**
ज	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-V)**
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VI)**
ञ	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VII)**
ट	यदि गैर वनभूमि पर ल्इवनत ब्ंउच स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जॉच की जाएगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VIII)**

	शर्त्त	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन
	2	3
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास वन एवं वन्य प्रणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-IX)**
ड	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-X)**
ढ	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-XI)**

प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करते हुए कार्यानुमति की मांग की गई है। प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की (चार) प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि कार्यानुमति के लिये आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0 :– यथोक्त।

7/12

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

07/12/20

(91)

(98)

कार्यालय : मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० - 8987790301

पत्रांक : 2126 दिनांक : 12/11/2020

सेवा में,

3489
26/11/20

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :- बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या–वनभूमि 41/2019–3164 व0प0, राँची दिनांक 16.08.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 1051 दिनांक 27.08.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र के द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव पर कुल 14 शर्त्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक 2459 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा उक्त शर्त्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	शर्त्त	अनुपालन	मंतव्य
1	2	3	4
क	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) समर्पित की जा रही है। (Undertaking-I)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचबद्धता दी गई है। अनुलग्नक–01 के रूप में संलग्न।
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) NO 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 वन भूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार प्रस्तावित 4.04 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 2529040.00 (पच्चीस लाख उन्नतीस हजार चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ (Annexure-1A) संलग्न है।	अनुपालन किया गया है। अनुलग्नक–1A के रूप में संलग्न।

क्र0सं0	शर्त्त	अनुपालन	मंतव्य
1	2	3	4
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनुलग्नक–02 के रूप में संलग्न।
घ	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CAMPA खाता में जमा की गई राशि इस प्रकार है। i) NPV Rs. 2529040.00 ii) CA Rs. 6037200.00 Total Rs. 8566240.00 (पचासी लाख छियासठ हजार दो सौ चालीस रू0 मात्र) पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ **(Annexure-1A)** संलग्न है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा खाता में कुल–85,66,240.00 (पच्चासी लाख छियासठ हजार दो सौ चालीस रू0 मात्र) जमा किया गया। **अनुलग्नक–1A** के रूप में संलग्न।
ङ.	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के क्रम मे कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 125 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-III)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है। अनुलग्नक–03 के रूप में संलग्न।
च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 125 वृक्षों के 10 गुणा अर्थात कुल 1250 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	वृक्ष पातन के सबंध में बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। कुल 1250 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख रखाव सहित) हेतू निर्देशानुसार कुल 6037200.00 (साठ लाख सैंतीस हजार दो सौ रू0) कैम्पा खाते में जमा करा दी गयी है। पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ **(Annexure-1A)** संलग्न है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल–1250 वृक्षों के रोपण हेतु (10 वर्षीय रखरखाव सहित) डिमांड राशि के अनुरूप कुल राशि 60,37,200.00 (साठ लाख सैतीस हजार दो सौ रूपये) + NPV की कुल राशि 25,29,040.00 = 85,66,240.0 NEFT/RTGS CHALLAN FOR Ad-HOC-CAMPA में दिनांक–28.08.2020 जमा किया गया है। **अनुलग्नक–1A** के रूप में संलग्न।
छ	ग्रिड से जो तार बाहर खीचें जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उँचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-IV)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है। अनुलग्नक–04 के रूप में संलग्न।

क्र०सं०	शर्त्त	अनुपालन	मंतव्य
1	2	3	4
ज	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-V)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है। **अनुलग्नक--05 के रूप में संलग्न।**
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VI)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार / भारत सरकार के कोई शर्तो के अनुपालन हेतु वचनबद्धता दी गयी है। **अनुलग्नक--06 के रूप में संलग्न।**
ञ	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VII)**	वनभूमि पर Labour camp नहीं रहने के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है। **अनुलग्नक--07 के रूप में संलग्न।**
ट	यदि गैर वनभूमि पर संड्वनत ब्उच स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जॉच की जाएगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VIII)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता दी गयी है। **अनुलग्नक--08 के रूप में संलग्न।**
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास वन एवं वन्य प्रणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-IX)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धमा दी गयी है। **अनुलग्नक--09 के रूप में संलग्न।**
ड	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र **(Undertaking)** इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-X)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाले वनभूमि का इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नही किया जाएगा के संबंध में वचनबद्धता दी गयी है। **अनुलग्नक--10 के रूप में संलग्न।**

पत्रांक :– 2459 दिनांक :– 10/11/2020 (84)

सेवा में, मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :– बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेषन निर्माण हेतु कुल 4.04 हे0 वनभूमि (जंगल झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

FC Act

Recd 11/11/2020

प्रसंग :– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र सं0–वनभूमि–41/ 2019–3164 व0प0, रांची दिनांक–16.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा में बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के मौजा–मायापुर में 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण के लिए कुल 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु कुल 14 शर्तो के साथ सैद्धान्तीक सहमति दी गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 14 शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है :–

क0 सं0	शर्त्त	अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का टिप्पणी
क	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	इस शर्त के अनुसार बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) समर्पित की जा रही है। (Undertaking-I)	वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचबद्धता दी गई है। **अनुलग्नक–01 के रूप में संलग्न।**
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या WP(C) NO 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 वन भूमि कम NPV कप राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुसार प्रस्तावित 4.04 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 2529040.00 (पच्चीस लाख उन्नतीस हजार चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ (Annexure-1A) संलग्न है।	अनुपालन किया गया है। **अनुलग्नक–1A के रूप में संलग्न।**
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/ अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। **अनुलग्नक–02 के रूप में संलग्न।**

क0 सं0	शर्त्त	अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का टिप्पणी
	जाएगा।		
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VI)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार के कोई शर्तो के अनुपालन हेतु वचनबद्धता दी गयी है। अनुलग्नक–06 के रूप में संलग्न।
ञ	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VII)**	वनभूमि पर Labour camp नहीं रहने के संबंध में प्रयोवता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है। अनुलग्नक–07 के रूप में संलग्न।
ट	यदि गैर वनभूमि पर स्इंवनत ब्उच स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जॉच की जाएगी ताकि आस पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-VIII)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता दी गयी है। अनुलग्नक–08 के रूप में संलग्न।
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस पास वन एवं वन्य प्रणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-IX)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धमा दी गयी है। अनुलग्नक–09 के रूप में संलग्न।
ड	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।	बाध्यता प्रमाण पत्र (Undertaking) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। **(Undertaking-X)**	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाले वनभूमि का इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नही किया जाएगा के संबंध में वचनबद्धता दी गयी है। अनुलग्नक–10 के रूप में संलग्न।

क0 सं0	शर्त्त	अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का टिप्पणी
ढ	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	बाध्यता प्रमाण पत्र (**Undertaking**) इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ समर्पित की जा रही है। (**Undertaking-XI**)	शर्त संख्या 'ढ' में किसी शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा तथा वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वचनबद्धत्ता दी गई है। अनुलग्नक–11 के रूप में संलग्न।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित स्टेज–1 का अनुपालन प्रतिवेदन कुल–07 प्रति में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1250 पौधों वृक्षारोपण हेतु (10 वर्षीय रखा–रखाव सहित) रू0 249.83 प्रति मानव दिवस के दर से कुल राशि–60,37,200 रूपये दिनांक–28.08.2020 को कैम्पा खाता में जमा किया गया है। अनुलंग्नक–1 'A' के रूप में संलग्न है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड राँची के पत्रांक–573 दिनांक–19.09.2020 के आलोक में दिनांक–01.04.2020 से लागू न्यून्नतम मजदूरी दर 295.80 रू0 के आधार पर संशोधित राशि का प्राक्कलन तैयार कर शेष राशि का डिमाण्ड प्रयोक्ता अभिकरण से किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(हस्ताक्षर) 10/11/20

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।